

प्रेषक,

जिलाधिकारी,  
मीरजापुर

सेवा में,

कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल),  
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,  
फरीदकोट हाउस, नई दिल्ली-110001

पत्र सं0 : 5067/एम0एम0सी0-30खनिज/2022-23

दिनांक : 01/05/2023

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.04.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-NGT/Judicial/OA/521-2022 दिनांक 08.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.04.2023 के अनुपालन में मा0 अधिकरण द्वारा आख्या उपलब्ध कराने के आदेश पारित किये गये हैं। उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त के अनुपालन में गठित कमेटी द्वारा अद्यतन आख्या प्रस्तुत नहीं की जा सकी है एवं समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु 01 सप्ताह के अतिरिक्त समय की मांग की गयी है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में अनुरोध है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण से विषयांकित प्रकरण में आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु 01 सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध करने का कष्ट करें।

भवदीय

*DE*

(दिव्या मित्तल)  
जिलाधिकारी,  
मीरजापुर

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,  
मीरजापुर